


विधानसभा प्रश्न 5148 के संबंध में 01.01.2017 से 20.01.2021 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण


क्र.	दिनांक / शिकायतकर्ता का नाम	प्राप्त आवेदन का माध्यम	विषय	की गई कार्यवाही	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	25.05.2017, आर. डी. शर्मा महामंत्री, म0प्र0 वि.उ.कं. मजदूर कॉंग्रेस	म0प्र0 वि.उ.कं. मजदूर कॉंग्रेस	आमरण अनशन की नोटिस।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 372 दिनांक 31.05.2017 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन ए.टी.पी.एस. चर्चाई द्वारा प्रेषित पत्र क्रं. 1054 दिनांक 25.07.2017 द्वारा निराकृत किया गया है।
2	11.08.17, श्री जितेन्द्र द्विवेदी	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	पावर हाउस चर्चाई में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों का एक माह का वेतन और पी.एफ. राशि दिलाये जाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 624 दिनांक 21.08.2017 प्रेषित निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन ए.टी.पी.एस. चर्चाई द्वारा प्रेषित पत्र क्रं. 2356 दिनांक 29.11.2017 द्वारा निराकृत किया गया है।
3	17.04.17, समस्त श्रमिक-संजय शर्मा, महेन्द्र कोरी एवं अन्य	कार्यालय में प्राप्त	अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई में समान कार्य समान वेतन की प्रकृिया प्रारंभ कराने हेतु।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 85 दिनांक 20.04.2017 प्रेषित निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 85 दिनांक 20.04.2017 द्वारा समान कार्य का समान वेतन हेतु पत्र प्रेषित। निराकृत
4	24.03.17, मो. इस्लाम	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	आवेदक को पुनः सेवा में लिये जाने बावत्।	सी.एस.आर. इन्टरप्राइजेज को कार्यलयीन पत्र क्रं. 211 दिनांक-04.05.17 प्रेषित। निराकृत	सी.एस.आर. इन्टरप्राइजेज द्वारा मो.इस्लाम पिता श्री स्व. सदरुद्दीन को पुनः कार्य पर रख लिया गया है। शिकायत निराकृत किया गया है।
5	06.06.17, श्री सरमन ताम्रकार	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	आधी मजदूरी वापस नहीं करने पर काम से हटाये जाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 412 दिनांक 15.06.2017 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 688 दिनांक 20.06.2017 द्वारा शिकायत का निराकृत किया गया।
6	07.11.2017, श्री धरमदास कोल	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	मजदूरी भुगतान बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 810 दिनांक 09.11.2017 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 2354 दिनांक 29.11.2017 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
7	05.03.2018, श्रीमती पंचवती द्वारा अपर कलेक्टर	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	आधी मजदूरी वापस नहीं करने पर काम से हटाये जाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 208 दिनांक 06.03.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 4101 दिनांक 27.03.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
8	05.07.18, श्री लल्ला कोल, शांती कोल एवं अन्य श्रमिक	कार्यालय में प्राप्त	ठेका श्रमिकों से जबरन पैसा वसूली एवं कार्य से निकालने की धमकी देने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्रं. 623 दिनांक 06.07.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 1004 दिनांक 31.07.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।


अनुभवा अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
भ्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल

9	04.01.2018, श्री प्रीतम लाल केवट, शम्भू प्रसाद केवट	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	ए.टी.पी.एस. चर्चाई में कार्यरत मजदूरों का मजदूरी भुगतान कराये जाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 28 दिनांक 06.01.2018 प्रेषित निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 2705 दिनांक 08.01.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
10	05.04.2018, अध्यक्ष, भारतीय ठेका मजदूर संघ शाखा चर्चाई जिला अनूपपुर	भारतीय ठेका मजदूर संघ शहडोल संभाग शहडोल शाखा चर्चाई	ठेका श्रमिकों को प्रत्येक माह नियत तिथि पर भुगतान वेतन पर्ची संरक्षण उपकरण एवं हाजरी कार्ड दिलाये जाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 362 दिनांक 07.04.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 255 दिनांक 27.04.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
11	28.11.2017, श्री सुनील, राजीव सिंह कुशवाहा	सी.एम.हेल्पलाइन के माध्यम से	समस्त सुरक्षाकर्मी 120 मेगावाट साइड अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 880 दिनांक 08.12.2017 एवं पत्र क्र. -116 दिनांक 30.01.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 2540 दिनांक 16.12.2017 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
12	08.10.2018, अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन संघ चर्चाई	कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त	चर्चाई पावर प्लांट में कार्यरत ठेका मजदूर का केन्द्र, राज्य, सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, असंगठित श्रमिकों के हित में बनाये गये कानूनों का पालन न होने के कारण मजदूरों की दुर्दशा दूर कराने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 944 दिनांक 22.10.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 1706 दिनांक 23.10.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
13	08.08.2018, श्री रेशम सिंह	ठेका श्रमिकों के माध्यम से प्राप्त आवेदन	लेबरों के भुगतान में विसंगति बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 806 दिनांक 27.08.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 1327 दिनांक 11.09.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
14	25.08.2018, श्री राहुल नामदेव, अरुण प्रताप सिंह एवं अन्य	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का मासिक भुगतान, ई.पी.एफ., वेतन पर्ची तथा बोनस न देने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 809 दिनांक 27.08.2018 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 1328 दिनांक 11.09.2018 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
15	07.01.2019, अध्यक्ष, भारतीय ठेका मजदूर संघ शाखा चर्चाई जिला अनूपपुर	ठेकेदार एसोसिएशन चर्चाई से प्राप्त	आउट सोर्सिंग ठेका श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज कर शोषण से बचाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 213 दिनांक 25.02.2019, 249 दिनांक 01.03.2019 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 2802 दिनांक 02.03.2019 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
16	03.05.2019, जिला मंत्री, शिवकुमार राठौर भारतीय ठेका मजदूर संघ, जिला अनूपपुर	भारतीय मजदूर संघ कैम्प अनूपपुर के माध्यम से प्राप्त	वार्षिक ठेके का निराकरण न करने से ठेका श्रमिक भुखमरी की कगार पर।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 470 दिनांक 04.05.2019 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 300 दिनांक 06.05.2019 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
17	11.02.2019, ठेका श्रमिक	श्रमिकों के माध्यम से प्राप्त आवेदन	बोनस, जी.एच. ई.एल एवं सेप्टी दिलवाने बावत्।	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई को कार्यलयीन पत्र क्र. 161 दिनांक 11.02.2019 प्रेषित। निराकृत	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्र. 366 दिनांक 06.05.2019 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
18	07.02.2020, श्री विवके खरे	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	ठेकेदार ए.के.एस. कॉन्स्ट्रक्शन चर्चाई के द्वारा ठेका श्रमिक को	ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह को कार्यलयीन पत्र क्र. 175	मुख्य अभियंता उत्पादन अमरकंटक तापविद्युतगृह


अनुभोज अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा 7)
चंद्रालय, भोपाल

			गेटपास व वेतन पर्ची न देने के संबंध में।	दिनांक 13.02.2020 एवं पत्र क्रं. 226 दिनांक 26.02.2020 प्रेषित। निराकृत	चर्चाई का कार्यलयीन पत्र क्रं. 3053 दिनांक 06.03.2020 द्वारा शिकायत निराकृत किया गया।
19	18.09.2020, संतोष कोरी	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	मजदूरी भुगतान की राशि दिलाने/श्रमिक हित की बात करने/मांग करने पर कार्य से पृथक कर दिये जाने बावत्	18.09.2020 को प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण शहडोल न्यायालय में विचाराधीन है।
20	18.09.2020, दीपक यादव	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	मजदूरी भुगतान की राशि दिलाने/श्रमिक हित की बात करने/मांग करने पर कार्य से पृथक कर दिये जाने बावत्	18.09.2020 को प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण शहडोल न्यायालय में विचाराधीन है।
21	26.09.2020, संतोष यादव	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	मजदूरी भुगतान की राशि दिलाने/श्रमिक हित की बात करने/मांग करने पर कार्य से पृथक कर दिये जाने बावत्	26.09.2020 को प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण शहडोल न्यायालय में विचाराधीन है।
22	26.09.2020, मोहनलाल रजक	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	मजदूरी भुगतान की राशि दिलाने/श्रमिक हित की बात करने/मांग करने पर कार्य से पृथक कर दिये जाने बावत्	26.09.2020 को प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण शहडोल न्यायालय में विचाराधीन है।
23	19.01.2021, अनिल नापित	कार्यालय में प्राप्त आवेदन	मजदूरी भुगतान की राशि दिलाने/ कार्य से पृथक कर दिये जाने बावत्	19.01.2021 को प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।	कार्यवाही निरंतरित है।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (मजदूरी)
चंडाला, भोपाल


श्रम पदाधिकारी
अनूपपुर
जिला अनूपपुर म0प्र0